



**APPROVAL PROCESS 2021-22**

**Extension of Approval (EoA)**

F.No. Northern/1-9317516189/2021/EOA

Date: 10-Jul-2021

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)  
Govt. of Uttar Pradesh,  
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,  
12A, Navin Bhawan,  
U.P. Lucknow-226001

**Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2021-22**

Ref: Application of the Institution for Extension of Approval for the Academic Year 2021-22

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Education) (1<sup>st</sup> Amendment) Regulations, 2021 notified on 24th February 2021 and other notifications as applicable and published from time to time, I am directed to convey the approval to

|  |   |                                  |                                     |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Permanent Id</b>                        | 1-481883371                                     | <b>Application Id</b>            | 1-9317516189                        |
| <b>Name of the Institution /University</b> | GOVERNMENT POLYTECHNIC ,NARAINI (BANDA) U.P.    | <b>Name of the Society/Trust</b> | TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT U.P. |
| <b>Institution /University Address</b>     | BADOKHAR, NARAINI, BANDA, Uttar Pradesh, 210001 | <b>Society/Trust Address</b>     | ,KANPUR,KANPUR NAGAR,Uttar Pradesh, |
| <b>Institution /University Type</b>        | Government                                      | <b>Region</b>                    | Northern                            |

**To conduct following Programs / Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2021-22**

| Program                    | Level   | Course                        | Affiliating Body (University /Body)                 | Intake Approved for 2020-21 | Intake Approved for 2021-22 | NRI Approval Status | FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status |
|----------------------------|---------|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRONICS ENGINEERING       | Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow | 48                          | 60                          | NA                  | NA                                    |
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | ELECTRICAL ENGINEERING        | Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow | 48                          | 60                          | NA                  | NA                                    |
| ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | MECHANICAL ENGINEERING (PROD) | Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow | 48                          | 60                          | NA                  | NA                                    |

**It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2021-22 (Appendix 6)**

The Institution/ University is having the following deficiencies as per the online application submitted to AICTE (self-disclosure based) and the same shall be complied within Six Months from the date of issue of this EoA

| Deficiencies* Noted (based on Self Disclosure)  |
|---|
| Cafeteria.  |
| Number of PCs in Language lab .<br>PCs to Student ratio .   |
| Seminar Hall.   |
| Faculty Deficiency  |
| Library & Reading Room.   |
| Volumes.<br>Titles.<br>Journals.<br>Library Management Software.<br>MultiMediaPC.   |
| Telephone.<br>Vehicle Parking.<br>Establishment: Internal Complaint Committee(ICC).<br>Waste Management and a sustainable Green Campus.<br>Display of Course(s) and Approved In entrance. |
| Fees to be charged, policies uploaded.<br>Courses/Approved Intake displayed.  |

\*Please refer Deficiency Report for details

**Important Instructions**

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC/ General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years.
2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time now amalgamated as total intake shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2021-22 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook.
3. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Complaint Committee (ICC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as per the provisions made in Approval Process Handbook and AICTE Regulation notified from time to time.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Copy \*\* to:

1. **The Director of Technical Education\*\***, Uttar Pradesh
2. **The Principal / Director**,  
GOVERNMENT POLYTECHNIC ,NARAINI (BANDA) U.P.  
Badokhar,  
Naraini,Banda,  
Uttar Pradesh,210001
3. **The Secretary / Chairman**,  
  
KANPUR,KANPUR NAGAR  
Uttar Pradesh,
4. **The Regional Officer**,  
All India Council for Technical Education  
Govt. Polytechnic Campus  
Adjoining Directorate of Technical Education  
Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
5. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-india.org/> .

---

\*\* Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.

*This is a computer generated Statement. No signature Required*

प्रेषक: प्रधानाचार्य,  
राजकीय पॉलीटेक्निक,  
नरैनी ( बाँदा ) ।

प्रेषक से: सचिव,  
प्राविधिक शिक्षा परिषद  
उ०प्र०, लखनऊ ।

दिनांक 18 अगस्त, 2021

पत्रांक 281-083/स्थापना/परिषद-1/2021-22

महोदय, कृपया स्मरण अवगत करना है कि राजकीय पॉलीटेक्निक, नरैनी (बाँदा) हेतु विगत वर्षों में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रवेश क्षमता 48 थी जिसके सापेक्ष 60 छात्र-छात्राओं का प्रवेश हुआ था। सैद्धिक सत्र 2021-22 में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रवेश क्षमता 60 कर दी गई जिसके सापेक्ष 75 छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र पोर्टल पर अनुमोदन की प्रत्याशा में भरे गये हैं।

| पाठ्यक्रम का नाम          | विगत वर्ष ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता | कुल प्रवेश क्षमता | सैद्धिक सत्र 2021-22 ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता<br><i>अनुमोदन उपरान्त</i> | कुल प्रवेश क्षमता |
|---------------------------|--|------------------------------------|-------------------|---|--|-------------------|
| इलेक्ट्रॉनिक्स अभियन्त्रण | 48   | 12                                 | 60                | 60  | 15   | 75                |
| विद्युत अभियन्त्रण        | 48   | 12                                 | 60                | 60  | 15   | 75                |
| यांत्रिक अभियन्त्रण       | 48   | 12                                 | 60                | 60  | 15   | 75                |

कृपया उपरोक्त के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें !

भवदीय,  
*[Signature]*  
प्रधानाचार्य,  
राजकीय पॉलीटेक्निक  
नरैनी (बाँदा)

दिनांक 18-08-2021 नरैनी (बाँदा)

पत्रांक 281-083/स्थापना/स्थापना/2021-22

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ०प्र०, कानपुर ।
- 2- संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ०प्र०, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झाँसी ।

*[Signature]*  
प्रधानाचार्य,  
राजकीय पॉलीटेक्निक  
नरैनी (बाँदा)

प्रेषक,

सुनील कुमार चौधरी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
प्राविधिक शिक्षा विभाग,  
उ०प्र०,कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-३

लखनऊ,दिनांक 25 अगस्त, 2020

विषय:- प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ०प्र० के नियंत्रणाधीन कार्यरत संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश क्षमता का निर्धारण।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10851/ई-प्लान-12ए2020-21 दिनांक 30.07.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में किए गए प्रस्ताव पर सम्बन्धित विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 46,105 सीटों की प्रवेश क्षमता संलग्न सूची में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित संस्थाओं में छात्रछात्राओं का प्रवेश निर्धारित सीटों तक ही किया जायेगा तथा जिन संस्थाओं के लिये प्रवेश क्षमता का निर्धारण किया गया है, उन संस्थाओं में प्रवेश/पंजीकरण के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

3- समस्त राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिये उक्त निर्धारित 46,105 सीटों पर काउन्सिलिंग के पूर्व समस्त तथ्यों एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन की स्थिति सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से भी सुनिश्चित कर ली जायेगी।

4- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद भी छात्रों का पंजीकरण करते समय यह पुष्टि कर लेंगे कि उक्त सभी सीटें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं।

5- निर्धारित सीटों पर प्रवेश में आरक्षण संबंधी अद्यावधिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- फार्मती पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रवेश क्षमतानुसार पी०सी०आई०, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही प्रवेश लिया जायेगा।

7- कृपया उपरोक्तानुसार संबंधित को अवगत कराते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक/सधोपदि।

भवदीय,

( सुनील कुमार चौधरी )  
विशेष सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अध्यक्ष ए0आई0सी0टी0ई0 नई दिल्ली।
- 2- क्षेत्रीय कार्यालय ए0आई0सी0टी0ई0 विकास नगर कानपुर।
- 3- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, कानपुर।
- 4- वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
- 5- निदेशक, आई0ई0आर0टी0, प्रयागराज।(द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0)
- 6- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, कानपुर।
- 7- निदेशक, ए0आई0टी0एच0, उ0प्र0 कानपुर (द्वारा निदेशक प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0)
- 8- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ0प्र0, लखनऊ।
- 9- संबंधित संस्थाओं के प्रधानाचार्य (द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0)
- 10- गाई फाइल।

आज्ञा से,

( कुलदीप बाबू )

उप सचिव

|      |                                    |                                      |     |    |     |
|------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|----|-----|
| 4.13 | रा०पा०] बांदा                      | सिविल इंजी०                          | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | इलेक्ट्रिकल इंजी० (इण्ड्र० कन्ट्रोल) | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | इलेक्ट्रानिक्स इंजी०                 | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | योग                                  | 180 | 45 | 225 |
| 4.14 | रा०पा०] माधोगढ़]<br>जालौन          | कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०           | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | योग                                  | 60  | 15 | 75  |
| 4.15 | रा०म०पा०]<br>घरखारी] महोबा         | इलेक्ट्रानिक्स इंजी०                 | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | इनफारमेशन टेक्नोलॉजी                 | 30  | 7  | 37  |
|      |                                    | योग                                  | 90  | 22 | 112 |
| 4.16 | रा०पा०] भरुआ]<br>सुनेरपुर] हमीरपुर | मैकेनिकल इंजी० (प्रोड०)              | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | योग                                  | 60  | 15 | 75  |
| 4.17 | रा०पा०] मानिकपुर]<br>चित्रकूट      | इलेक्ट्रानिक्स इंजी०                 | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | इलेक्ट्रिकल इंजी०                    | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | मैकेनिकल इंजी० (प्रोड०)              | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | योग                                  | 180 | 45 | 225 |
| 4.18 | रा०पा०] नरैनी]<br>बांदा            | इलेक्ट्रानिक्स इंजी०                 | 48  | 12 | 60  |
|      |                                    | इलेक्ट्रिकल इंजी०                    | 48  | 12 | 60  |
|      |                                    | मैकेनिकल इंजी० (प्रोड०)              | 48  | 12 | 60  |
|      |                                    | योग                                  | 144 | 36 | 180 |
| 4.19 | रा०पा०] तालबेहटा]<br>तलितपुर       | कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०           | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | इलेक्ट्रिकल इंजी०                    | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | इलेक्ट्रानिक्स इंजी०                 | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | माइनिंग इंजी०                        | 30  | 7  | 37  |
|      |                                    | योग                                  | 210 | 52 | 262 |
| 4.20 | एम०एम०आई०टी०]<br>कानपुर देहात      | मैकेनिकल इंजी० (प्रोड०)              | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | सिविल इंजी०                          | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | योग                                  | 120 | 30 | 150 |
| 4.21 | एम०एम०आई०टी०]<br>औरंगा             | मेनिकल इंजी०                         | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | इलेक्ट्रिकल इंजी०                    | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | प्लास्टिक एण्ड मोल्ड टेक्नोलॉजी      | 60  | 15 | 75  |
|      |                                    | योग                                  | 180 | 45 | 225 |
| 4.22 | एम०एम०आई०टी०]<br>अलीगंजी] कन्नौज   | मैकेनिकल इंजी० (मैटीरिअल)            | 48  | 12 | 60  |

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।